UPET010028362018

न्यायालय: विशेष न्यायाधीश (उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम)/अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-03, एटा।

उपस्थित - 'कमालुद्दीन' उच्चतर न्यायिक सेवा

J.O. Code U.P. 2690

जी0 एस0 टी0 संख्या-15/2018

उ0प्र0 राज्य

-----अभियोजन पक्ष

-बनाम-

1- गजेन्द्र उर्फ भोला यादव पुत्र विनोद यादव
निवासी-ग्राम लहरा, थाना कोतवाली देहात, जिला एटा।
2- सोनू उर्फ विवेक यादव पुत्र सुनील यादव
निवासी-रूद्रपुर थाना कोतवाली नगर, जिला एटा।

------(अभियुक्त सोनू उर्फ विवेक यादव की पत्रावली आदेश दिनांकित 24.09.2019 के माध्यम से पृथक की गयी।)

3- प्रवेश यादव पुत्र हरविलास
निवासी-तेजपुर, H/O शेरपुर, थाना अमापुर, जिला कासगंज।

---------अभियुक्तगण

अपराध संख्या-311/2017
आरोप पत्र की धारा-2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986
थाना-कोतवाली देहात, जिला एटा।

संक्षिप्त विवरण	
जी0 एस0 टी0 संख्या	15/2018
अपराध संख्या	311/2017
धारा	2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986
थाना	कोतवाली देहात
अभियुक्त	गजेन्द्र उर्फ भोला एवं प्रवेश यादव
प्रतिनिधित्व (अभियोजन)	श्री रक्षपाल सिंह शाक्य, विद्वान विशेष लोक अभियोजक
प्रतिनिधित्व (अभियुक्त)	श्री बाबू यादव, एडवोकेट
घटना की तिथि	भिन्न-भिन्न
प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराये जाने की तिथि	04.05.2017
आरोप पत्र संख्या व प्रेषण की तिथि	आरोप पत्र संख्या-80/2018, दिनांक 21.03.2018
प्रसंज्ञान की तिथि	29.03.2018
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	24.04.2018

Digitally signed by KAMALUDDIN
Date: 2026.04.06 16:45:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

निर्णय की तिथि	06.04.2026
निर्णय का परिणाम	दोषमुक्त

–निर्णय–

1– जी0एस0टी0 संख्या–15/2018, राज्य बनाम गजेन्द्र उर्फ भोला आदि, अ0सं0–311/2017, अन्तर्गत धारा–2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना कोतवाली नगर, जिला एटा में अभियुक्तगण गजेन्द्र उर्फ भोला एवं प्रवेश यादव का इस न्यायालय द्वारा विचारण किया गया।

2– अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एस0एच0ओ0 सुम्मेर सिंह, थाना कोतवाली देहात ने दिनांक 04.05.2017 को जुबानी सूचना थाना कोतवाली देहात, एटा पर इस आशय की प्रस्तुत की कि–

वह एस0एच0ओ0 सुम्मेर सिंह मय हमराही कां0 539 मिलाप सिंह, कां0 376 राजेन्द्र सिंह मय जीप सरकारी नं0 UP82G0254 चालक एच0सी0 राजेन्द्र सिंह के रवानाशुदा रफ्ता रफट रो0आम इमरोजा से बाद देखरेख शान्ति व्यवस्था तलाश वांछित अपराधी विवेचना मुकदमा मर्जुआत चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन अन्दर इलाका से वापस एक किता अनुमोदितशुदा गैंगचार्ट के थाना आकर दाखिल किया कि अभियुक्त गजेन्द्र उर्फ भोला यादव पुत्र विनोद यादव निवासी ग्राम लहरा, थाना कोतवाली देहात, जिला एटा ने अपने साथियों सोनू उर्फ विवेक यादव पुत्र सुनील यादव निवासी रूद्रपुर, थाना कोतवाली नगर, जिला एटा, प्रवेश यादव पुत्र हरविलास निवासी तेजपुर शेरपुर, थाना अमांपुर, जनपद कासगंज का एक संगठित गिरोह है, जो अपने साथियों के साथ मिलकर संगीन अपराध कारित कर अपने व साथियों के लिए भौतिक व आर्थिक लाभ अर्जित करने के लिए भा0दं0सं0 के अध्याय 16,17 व 22 में वर्णित अपराधों को कारित कर समाज विरोधी क्रिया कलापों से संलिप्त रहते है। इनका जनता में भय व आतंक व्याप्त होने के कारण इनके विरुद्ध कोई रिपोर्ट लिखाने या गवाही देने की हिम्मत नहीं करता है। इनका यह कृत्य उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 2/3 को पहुंचता है। इनका समाज में स्वछन्द रहना जनहित में घातक है। अतः इनके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाने हेतु धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की जाती है, जिससे आम जनता में भय व आतंक का माहौल खत्म हो सके। आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण गजेन्द्र उर्फ भोला यादव मु0अ0सं0–101/2017, धारा 392 भा0दं0सं0, थाना कोतवाली देहात, जिला एटा, मु0अ0सं0–581/2016, धारा 302,394,411,34 भा0दं0सं0 व 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, थाना कोतवाली देहात, जिला एटा मु0अ0सं0–181/2017, धारा 392 भा0दं0सं0 थाना कोतवाली नगर, जिला एटा अभियुक्त सोनू उर्फ विवेक यादव पुत्र सुनील यादव मु0अ0सं0–101/2017, धारा 392 भा0दं0सं0, थाना कोतवाली देहात, जिला एटा, मु0अ0सं0–181/2017, धारा 392 भा0दं0सं0 थाना कोतवाली नगर, जिला एटा, अभियुक्त प्रवेश यादव पुत्र हरविलास मु0अ0सं0– 101/2017, धारा 392 भा0दं0सं0, मु0अ0सं0 581/2016, धारा 302,394,411,34 भा0दं0सं0 व 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, थाना कोतवाली देहात, जिला एटा, मु0अ0सं0–149/2016, धारा 392,411 भा0दं0सं0, थाना एका जनपद फिरोजाबाद पंजीकृत है। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करें।

3– मु0अ0सं0 101/2017, धारा 392 भा0दं0सं0, थाना कोतवाली देहात, जिला एटा बनाम गजेन्द्र उर्फ भोला, सोनू उर्फ विवेक यादव, प्रवेश यादव, मु0अ0सं0–581/2016, धारा 302,394,411,34 भा0दं0सं0 व 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, थाना कोतवाली देहात, जिला एटा बनाम गजेन्द्र उर्फ भोला, प्रवेश यादव, मु0अ0सं0–181/2017, धारा 392

भा0 दं0 सं0 थाना कोतवाली नगर, जिला एटा बनाम गजेन्द्र उर्फ भोला, सोनू उर्फ विवेक यादव, मु0 अ 0 सं0–149/2016, धारा 392, 411 भा0 दं0 सं0, थाना एका जनपद फिरोजाबाद बनाम प्रवेश यादव के प्रकरण के आधार पर तथा उपरोक्त जुबानी सूचना पर अ 0 सं0–311/2017, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम गजेन्द्र उर्फ भोला, सोनू उर्फ विवेक यादव, प्रवेश यादव के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी, जिसकी चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श क–04** दिनांक 04.05.2007 को अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध किता की गयी तथा अपराध का खुलासा जी0 डी0 रपट नं0–25, समय 11:25 **प्रदर्श क–05** पर किया गया।

4– प्रकरण की विवेचना विवेचक को सुपुर्द की गयी। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा बयान वादी व गवाहान व गैंगचार्ट के आधार पर मामले की विवेचना पूर्ण होने के उपरान्त अभियुक्तगण गजेन्द्र उर्फ भोला, सोनू उर्फ विवेक यादव, प्रवेश यादव के विरूद्ध धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का अपराध बनने पर उनके विरूद्ध तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा से आरोप पत्र प्रेषित किये जाने की अनुमति **प्रदर्श क–03** प्राप्त कर, विवेचक द्वारा आरोप पत्र संख्या–80/2018 दिनांकित 21.03.2018 **प्रदर्श क–02** विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर विद्वान पूर्व विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–05, एटा द्वारा दिनांक 29.03.2018 को प्रसंज्ञान लिया गया।

5– न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण गजेन्द्र उर्फ भोला, सोनू उर्फ विवेक यादव एवं प्रवेश यादव के विरूद्ध धारा–2/3 उ 0 प्र 0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1986 का आरोप दिनांक 24.04.2018 को विरचित किया गया, जिसे अभियुक्तगण द्वारा अस्वीकार किया गया और विचारण की मांग की।

6– यहाॅ यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त सोनू उर्फ विवेक यादव की पत्रावली आदेश दिनांकित 24.09.2019 के माध्यम से पृथक की गयी।

7– अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध अधिरोपित आरोपों को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में 03 साक्षीगण को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है, जो इस प्रकार है:–

अभियोजन साक्षी का क्रम संख्या	**अभियोजन साक्षी का नाम**	**विवरण**
अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–01	सेवानिवृत्त निरीक्षक सुम्मेर सिंह	वादी/शिकायतकर्ता
अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–02	सेवानिवृत्त निरीक्षक देशवीर सिंह	विवेचक
अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–03	साक्षी एच 0 सी0 705 विकास बाबू	सी0 सी0

8– अभियोजन की ओर से अपने कथानक के समर्थन में निम्न लिखित प्रलेखों को प्रस्तुत कर साबित कराया गया है:–

क्रम सं0	**प्रपत्र का नाम**	**प्रदर्श संख्या**	**अभियोजन साक्षी का विवरण, जिनके द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की सत्यता को सिद्ध किया गया है।**
1	गैंगचार्ट	प्रदर्श क–01	पी0 डब्लू0–01 वादी सेवानिवृत्त निरीक्षक सुम्मेर सिंह

2	आरोप पत्र अ0सं0–311/2017	प्रदर्श क–02	पी0 डब्लू0–02 विवेचक सेवानिवृत्त निरीक्षक देशवीर सिंह
3	अभियोग चलाये जाने हेतु अनुमति पत्र	प्रदर्श क–03	पी0 डब्लू0–02 विवेचक सेवानिवृत्त निरीक्षक देशवीर सिंह
4	चिक एफ0आई0आर0 अ0सं0–311/2017	प्रदर्श क–04	पी0 डब्लू0–03 एच0सी0 विकास बाबू
5	जी0 डी0 रपट संख्या–25	प्रदर्श क–05	पी0 डब्लू0–03 एच0सी0 विकास बाबू

9– अभियोजन पक्ष की साक्ष्य समाप्ति पर अभियुक्तगण का कथन अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 दिनांक 31.10.2025 को अंकित किया गया, जिसमें प्रत्येक अभियुक्त द्वारा अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–01 के कथानक को गलत बताया है तथा झूंठा गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया है। गैंगचार्ट में दिखाये गये मुकदमें अज्ञात में दर्ज होना बताया है। साक्षी पी0 डब्लू0–02 के कथानक को झूंठा मुकदमा दर्ज करना बताया है तथा फर्जी आरोप पत्र दाखिल किया गया है। पी०डब्लू0–03 के कथानक को एस0एच0ओ0 द्वारा गुडवर्क दिखाने के लिए तथा प्रमोशन पाने के लिए झूंठा मुकदमा सी0 सी0 से एन्टी टाईम दर्ज कराना बताया है। अभियोग रंजिश से व पुलिस के गुडवर्क दिखाने के लिए चलना बताया है तथा सफाई साक्ष्य देना बताया है तथा कथन किया है कि दो मुकदमें छूट गये है एक लम्बित है।

10– अभियुक्तगण की ओर से सफाई/साक्ष्य में फेहरिस्त 42ब/1 से अ0सं0–581/2016 अन्तर्गत धारा 302,394,411,34 भा0दं0सं0 व धारा 3(2)(5) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, थाना कोतवाली देहात, एटा से सम्बन्धित विशेष सत्र परीक्षण संख्या–83/2015 में प्रथम सूचना रिपोर्ट 0.बनाम भूपेन्द्र व दो अज्ञात, अ0सं0–581/2016 अन्तर्गत धारा 302,394,411,34 भा0दं0सं0 व धारा 3(2)(5) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, थाना कोतवाली देहात, एटा से सम्बन्धित विशेष सत्र परीक्षण संख्या–83/2015 में बयान पी0 डब्लू0–1 राकेश कुमार, पी0 डब्लू0–2 रामकुमार सिंह, बयान पी0 डब्लू0–3 रामऔतार सिंह, बयान पी0 डब्लू0–4 सन्तोष कुमार, पी0 डब्लू0–5 एस0आई0 नीरज कुमार सिंह, पी0 डब्लू0–6 डा0 मौ0 कासिम के बयान की छायाप्रति कागज संख्या 42ब/6 लगायत 42ब/23, फेहरिस्त 43ब से अ0सं0–181/2017 अन्तर्गत धारा 392 भा0दं0सं0, थाना कोतवाली नगर, एटा से सम्बन्धित विशेष सत्र परीक्षण संख्या–40/2017 में पारित निर्णयादेश दिनांकित 10–01–2025 कागज संख्या 43ब/2 लगायत 43ब/5 एवं अ0सं0–101/2017 अन्तर्गत धारा 392 भा0दं0सं0, थाना कोतवाली देहात, एटा से सम्बन्धित विशेष सत्र परीक्षण संख्या–39/2017 में पारित निर्णयादेश दिनांकित 04–02–2025 कागज संख्या 43ब/6 लगायत 43ब/8 दाखिल किया गया है।

11– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये मौखिक साक्ष्यों के कथन संक्षेप में इस प्रकार है–

12– अभियोजन पक्ष की ओर से सर्वप्रथम साक्षी **पी0 डब्लू0–01 वादी सेवानिवृत्त निरीक्षक सुम्मेर सिंह** को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 28.04.2017 को प्रभारी के पद पर थाना कोतवाली देहात जिला एटा पर तैनात था। उस

दिन उसके द्वारा गैंगलीडर गजेन्द्र उर्फ भोला पुत्र विनोद निवासी लहरा के साथी सोनू उर्फ विवेक यादव पुत्र सुनील यादव निवासी रुद्रपुर, थाना कोतवाली नगर, जिला एटा व सदस्य गिरीश यादव पुत्र हरविलास निवासी तेजपुर (शेरपुर) थाना अमांपुर, जनपद कासगंज के विरुद्ध संगठित गिरोह व सामूहिक रूप से अपने साथी के साथ मिलकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु हत्या, लूट, डकैती आदि जघन्य अपराध कारित कर अर्जित करते है तथा क्षेत्र में भय व आतंक व्याप्त है तथा इनका भा0 दं0 सं0 16, 17 व 22 में वर्णित अपराध करने के अभ्यस्त अपराधी है। इनका समाज में स्वछंद रहना सही नहीं है, जिसका अभियुक्त गजेन्द्र (गैंगलीडर) के विरुद्ध मु0 अ0 सं0 101/2017, धारा 392 भा0 दं0 सं0, थाना कोतवाली देहात, जिला एटा, मु0 अ0 सं0 581/2016, धारा 302, 394, 411, 34 भा0 दं0 सं0 व 3(2)5 एस0 सी0/एस0 टी0 एक्ट, थाना कोतवाली देहात, जिला एटा मु0 अ0 सं0–181/2017, धारा 392 भा0 दं0 सं0 व अ0 सं0–149/2016, धारा 392 भा0 दं0 सं0, थाना एका जिला फिरोजाबाद व सदस्य प्रवेश यादव के विरुद्ध मु0 अ0 सं0–181/2017, धारा 392 भा0 दं0 सं0 थाना कोतवाली नगर, जिला एटा को छोड़कर उपरोक्त तीनो अपराध संख्या में वांछित व सदस्य सोनू उर्फ विवेक के विरुद्ध मु0 अ0 सं0– 101/2017, धारा 392 भा0 दं0 सं0, मु0 अ0 सं0–181/2017, धारा 392 भा0 दं0 सं0, थाना कोतवाली नगर, एटा में वांछित होने पर गैंगचार्ट उसके द्वारा टाइप कराया गया, जिस पर उसके हस्ताक्षर होने के बाद सी0 ओ0 सिटी व एस0 पी0 क्राइम व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा द्वारा संस्तुति होने के बाद व जिलाधिकारी एटा के अनुमोदन होने के बाद दिनांक 04.05.2017 को उसके द्वारा थाना कोतवाली देहात एटा पर मु0 अ0 सं0 311/2017, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम गजेन्द्र उर्फ भोला, सोनू उर्फ विवेक व प्रवेश यादव के खिलाफ मुकदमा कायम कराया था। उसके बाद विवेचक द्वारा उसका बयान लिया गया था।

13– इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि वह थाना कोतवाली देहात जिला एटा में दिसम्बर 2016 से जून 2017 तक तैनात रहा, तारीख का ध्यान नहीं है। उसने गैंगचार्ट किस तारीख को तैयार किया, तारीख का ध्यान नहीं है और सन् का ध्यान है। उसने मु0 अ0 सं0 311/2017, किस तारीख, किस महीने दर्ज कराया था, ध्यान नहीं है। जून का ध्यान है। उसने तीनों अभियुक्तगण गजेन्द्र उर्फ भोला, सोनू उर्फ विवेक यादव व प्रवेश यादव को गैंगचार्ट बनाने से पहले चल अचल सम्पत्ति को जांच नहीं की। गैंगचार्ट में तीन अभियुक्तों पर तीन मुकदमा लूट के व एक मुकदमा धारा 302, 394 भा0 दं0 सं0 का दर्ज हुआ था। वह चारों मुकदमें अज्ञात में दर्ज हुए थे। बाद में नाम प्रकाश में आया है। यह कहना गलत है कि कारगुजारी दिखाने के लिए और गुडवर्क दिखाने के लिए तीनो अभियुक्तों का नाम झूंठा प्रकाश में लाया गया और उसी आधार पर या उसके द्वारा गैंगचार्ट तैयार कर झूंठा मुकदमा लिखाया गया। यह उसे जानकारी नहीं है कि मुकदमा अ0 सं0–581/2016, धारा 302, 394, 411, 34 भा0 दं0 सं0 व 3(2)5 एस0 सी0/एस0 टी0 एक्ट, में वादी द्वारा न्यायालय में अभियुक्तों का नाम नहीं लिया है तथा उसे गैंगचार्ट में दर्शाये गये चारो मुकदमों के परिणाम के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। उसे ध्यान नहीं है कि जब उसने धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा लिखाया उस समय तीनों अभियुक्तगण जेल में थे अथवा नहीं। उसने उच्च अधिकारियों के आदेश का पालन किया है। उसका विवेचक ने कब और कहा बयान लिया था, उसे जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि उसने उच्चअधिकारियों के दबाव में आकर झूंठा गैंगचार्ट तैयार कर झूंठा मुकदमा लिखाया है।

14– अभियोजन साक्षी **पी0 डब्लू0–2 विवेचक सेवानिवृत्त निरीक्षक देशवीर सिंह** को परीक्षित कराया गया, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 17.06.2017 को थाना बागवाला पर बतौर थानाध्यक्ष तैनात रहे थे। उस दिन अ0 सं०–311/2017 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली देहात की विवेचना विवेचनाधीन मिली, जिसको पूर्व थानाध्यक्ष संजीव कुमार शर्मा थाना बागवाला द्वारा की जा रही थी। उनका स्थानान्तरण हो जाने की वजह से

उसने ग्रहण की, जिसका विवरण पर्चा नं०–4 दिनांक 17.06.2017 को विवेचना ग्रहण करके सी0 डी0 में उल्लेख किया गया। दिनांक 07.07.2017 व दिनांक 05.08.2017 को पर्चा नं० 5 व 6 किता किया गया, जिसमें मुल्जिमान के रिमाण्ड सम्बन्धित विवरण है। दिनाक 15.09.2017 को पर्चा नं०–7 किता किया, जिसमें पूर्व विवेचक एस0आई0 शेर सिंह प्रभारी एस0ओ0जी0 टीम, एटा का बयान लिया। दिनांक 10.10.2017 को पर्चा नं० 8 किता किया गया, जिसमें एस0आई0 कन्हैया सिंह थाना जलेसर का बयान अंकित किया, जिनके द्वारा अ0सं० 101/2017 धारा 392 भा0दं0सं0 थाना कोतवाली देहात की विवेचना उपरान्त आरोपपत्र दाखिल किया था व सी0सी0 नीरज कुमार जिसके द्वारा अ0सं0–101/2017 की चिक एफ0आई0आर0 लिखी गई। दिनांक 15.11.2017 को पर्चा नं० 9 किता किया गया, जिसमें अ0सं०–581/2016 धारा 302 भा0दं0सं0 के वादी को तलब किया नहीं मिला। दिनांक 14.12.2017 को पर्चा नं0 10 किता किया, जिसमें बयान वादी अ0सं0–311/2017 प्रभारी निरीक्षक सुम्मेर सिंह व कां० मिलाप सिंह व कां० राजेन्द्र सिंह के बयान अंकित किये। दिनांक 17.01.2018 को बयान वादी अ0सं० 101/2017 थाना एका, जिला फिरोजाबाद धारा 392 भा0दं0सं0 विकास व वादी अ0सं0–181/2017 थाना कोतवाली नगर एटा के वादी एवं मुकदमा अ0सं०–581/2016 302 भा0दं0सं0 व 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट थाना कोतवाली देहात वादी राकेश कुमार व एस0आई0 राजन बाबू श्रीवास्तव विवेचक अ0सं0 181/2017 के बयान लिये। दिनांक 18.01.2018 को बयान वादी अ0सं०–149/2016 थाना एका अजय व एफ0आई0आर0 लेखक अरब सिंह व एस0आई0 धर्मेन्द्र सिंह थाना एका व विवेचक उपरोक्त के जनवेद सिंह व विवेचक प्रवेश कुमार थाना एका के बयान लिये। दिनांक 24.01.2018 को पर्चा नं० 13 किता किया, जिसमें अं0सं०–581/2016 धारा 302 भा०दं०सं० व 3 (1) 10 एस०सी०एस०टी० एक्ट के विवेचक सी0ओ0 निवेश कटियार ए0टी0एस0 लखनऊ में बयान लिया। दिनांक 01.02.2018 को पर्चा नं० 14 किता किया, जिसमें 14 (1) की कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रेषित की। दिनांक 08.02.2018 को पर्चा नं0 15 किता किया, जिसमें सी0सी0 सुनील कुमार कार्यालय क्षेत्राधिकारी एटा ने अ0सं0–181/2017 की रिपोर्ट लिखी का बयान लिया। दिनांक 21.03.2018 को पर्चा नं0 16 किता किया गया, जिसमें तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा द्वारा अभियुक्तगण गजेन्द्र उर्फ भोला यादव, सोनू उर्फ विवेक यादव व प्रवेश यादव के विरूद्ध 2/3 गैंगस्टर एक्ट की अभियोजन स्वीकृत न्यायालय में मुकदमा सम्बन्धित मामले में थाना क्षेत्र के अभियुक्तगण के गॉव, मकानों पर गया था। इसका उल्लेख सी0डी0 में नहीं है। अभियुक्तगण की आर्थिक स्थिति की जानकारी की, लेकिन इनके भय के कराण कोई जानकारी देने के लिये तैयार नहीं हुआ। वह इनके आर्थिक स्थिति के बारे में परिचित नहीं है। यह भी सही है कि अभियुक्तगण की चल, अचल संपत्ति का विवरण उसने केस डायरी में नहीं किया है। अभियुक्तगण से वह पूर्व से परिचित नहीं था। यह सही है कि इस केस में अभियुक्तगण पर अभियोग चलाने के लिये अनुमति दिनांक 23.09.2017 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गई थी, जो उसे डाक द्वारा प्राप्त हुई थी। यह कहना सही है कि इस केस के संपूर्ण साक्ष्य का संकलन उसके द्वारा अभियोग चलाने की अनुमति से पूर्व ही पूर्ण की थी। यह भी सही है कि जिस कारण गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही अभियुक्तगण पर की गई है, उस केस का ना तो वह विवेचक रहा है और ना ही वह उस मामले में किसी भी प्रकार की अभियुक्तों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है। यह कहना गलत है कि इस केस की विवेचना सी0आर0पी0सी0 के प्रावधान एवं पुलिस एक्ट प्रावधान के तहत न की गई है। यह कहना गलत है कि कारगुजारी दिखाने के उद्देश्य से पुलिस पार्टी वादी होने के उद्देश्य से झूॅठा आरोपपत्र प्रेषित किया है। इस केस के वादी मुकदमा एस0एच0ओ0 दशरथ सिंह उसके सीनीयर थे। दिनांक 17–06–2017 को थाना बागवाला पर तैनात रहा था। उपरोक्त मुकदमा में अभियुक्तगण गजेन्द्र उर्फ भोला यादव, सोनू

उर्फ विवेक यादव व प्रवेश यादव के विरुद्ध तत्कालीन एस०एस०पी० अखिलेश कुमार चौरसिया द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाने हेतु अभियोजन स्वीकृति दी गयी थी, जो टाईपशुदा पत्रावली पर संलग्न दिनांक 13.03.2018 की है, जिसपर प्रर्दश क–03 पड़ा हुआ है तथा आरोप पत्र तीनों अभियुक्तगण का पत्रावली पर टाईपशुदा 3 अ/1 लगायात 3 अ/4 संलग्न है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है, जिस पर प्रर्दश क –2 पड़ा हुआ है।

15– इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि वह दिनांक 08.06.2017 से 31.03.2018 तक थानाध्यक्ष बागवाला के पद पर तैनात रहा। गैंगचार्ट सुम्मेर सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना बागवाला द्वारा तैनात किया गया था। एस०एच०ओ० सुम्मेर सिंह द्वारा जुबानी सूचना के आधार पर एफ०आई०आर० दर्ज करायी। केस डायरी का पर्चा नं० 1 थाना कोतवाली देहात में तैनात उपनिरीक्षक शेरसिंह द्वारा किता किया गया। शेरसिंह एस०एच०ओ० सुम्मेर सिंह के अधीनस्त कर्मचारी थे। पर्चा नं० 2 व 3 एस०ओ० बागवाला संजीव कुमार द्वारा किता किये, गये उसके पश्चात सम्पूर्ण विवेचना मय आरोप पत्र तक उसके द्वारा की गयी थी। उसके द्वारा दौरान विवेचना तीनों अभियुक्तगण की चल अचल सम्पत्ति की जाँच की गयी, जिसका इन्द्राज जी०डी० में नहीं किया गया और न केस डायरी में किया गया। उसे यह जानकारी नहीं है कि अभियुक्तगण के नाम व उनकी पत्नी व परिवारीजनों के विरुद्ध कितनी चल अचल सम्पत्ति है। गैंगचार्ट में दर्शाये गये सभी मुकदमें अज्ञात में दर्ज हुए थे। दौरान विवेचना प्रकाश में नाम आया था उसे जानकारी नहीं है कि सोनू उर्फ विवेक की हत्या हो चुकी है। उसके द्वारा जेल में निरुद्ध तीनों मुल्जिमानो के बयान अंकित नहीं किये गये थे। उसके द्वारा अन्य मुकदमा के वादी व गवाहान से तीनों अभियुक्तों की कोई शिनाख्त नहीं करायी थी। उसके द्वारा दौरान विवेचना अभियुक्तगणों द्वारा भा०दं०सं० के अध्याय 16,17,22 में वर्णित अपराध करने व जनता में भय व आतक व्याप्त होने के सम्बन्ध में किसी जनता के व्यक्ति के बयान अंकित नहीं किये गये। उसे जानकारी में नहीं है कि गैंगचार्ट में दर्शाये गये मुकदमें न्यायालय से छूट गये या सजा हुयी है। उसके द्वारा मुकददमा वादी व थाने के पुलिस वालों के बयानों व गैंगचार्ट में दर्शाये गये मुकदमा के वादी के बयानों के आधार पर आरोप पत्र दाखिल किया गया है, जबकि गैंगचार्ट में दर्शाये गये सभी मुकदमें अज्ञात में दर्ज हुए थे। उसके द्वारा अपने एस०ओ० के पद पर रहते हुए गैंगचार्ट बनाये थे व एफ०आई०आर० दर्ज किये गये। यह कहना गलत है कि उसके द्वारा उच्चाधिकारियों के दबाव में आकर थाने में बैठकर वाला–वाला बयान अंकित कर निष्पक्ष विवेचना न कर झूंठा आरोप पत्र दाखिल किया है। यह भी कहना गलत है कि उसके द्वारा किसी पुलिस वालों को बुलाकर बयान अंकित न किये गये है और गलत तरीके से गलत आरोप पत्र दाखिल किया है।

16– अभियोजन साक्षी **पी0 डब्लू0–03 एच 0 सी0 विकास बाबू** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 04.05.2017 को थाना कोतवाली देहात पर बतौर सी0 सी0 तैनात रहा था। उस दिन एस 0 एच 0 ओ 0 सुम्मेर सिंह द्वारा नियमानुसार बना हुआ अनुमोदित गैंगचार्ट जिसका गैंगलीडर गजेन्द्र उर्फ भोला व सदस्य सोनू उर्फ विवेक व प्रवेश यादव का गैंगचार्ट थाने पर दाखिल हुआ था। गैंगचार्ट में वर्णित तथ्यों व सूचना जुबानी के आधार पर अ 0 सं0–311/2017, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम गजेन्द्र उर्फ भोला आदि तीन नफर की चिक प्रभारी निरीक्षक सुम्मेर सिंह द्वारा बोलने पर सी0 सी0 कर्मवीर द्वारा टाइप की गयी थी, जिस पर प्रभारी निरीक्षक सुम्मेर सिंह ने अपने हस्ताक्षर किये थे। वह उनके साथ तैनात रहा है। उनका लेख व हस्ताक्षर पहचानता है। उस समय वह भी थाना कार्यालय पर मौजूद था। कायमी मुकदमा का इन्द्राज रपट संख्या 25, समय 11:25 बजे दिनांक 04.05.2017 को असल के साथ कार्बन लगाकर तैयार की गयी थी, जिसकी फोटोस्टेट पत्रावली में संलग्न है। एस 0 एच 0 ओ 0 सुम्मेर सिंह के हस्ताक्षर है तथा थाना की मुहर लगी है, जिसे सही

होना वह अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करता है। चिक पर प्रदर्श क–4 व जी0 डी0 पर प्रदर्श क–5 डाला गया। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

17– विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा संगठित गिरोह के सदस्य के रूप में गैंगचार्ट में उल्लिखित अपराध कारित कर समाज में भय कारित किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा संगठित गिरोह के सदस्य के रूप में भौतिक, आर्थिक एवं दुनियावी लाभ प्राप्त किया गया है। अभियुक्तगण का समाज में इतना भय व्याप्त है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा उनके विरूद्ध कोई आवाज नहीं उठायी जा सकती। अभियुक्तगण पर हत्या, जबरन वसूली व हत्या का प्रयास जैसे अपराध कारित किये जाने का आरोप है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति के है, जिन्हें अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी पी0 डब्लू0–01 लगायत पी0 डब्लू0–03 द्वारा अपनी साक्ष्य से बखूबी साबित किये हैं। अभियुक्तगण द्वारा उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा–02 में वर्णित अपराध कारित किया गया है। अतः अभियुक्तगण को धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए दण्ड से दण्डित किया जाये।

18– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) के तर्कों का खण्डन करते हुए तर्क दिया है कि अभियुक्तगण को वादी मुकदमा द्वारा उपरोक्त मामले में पुलिस ने फर्जी मुकदमा लिखकर झूँठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। पुलिस द्वारा उच्चाधिकारियों को खुश करने के लिए घर से पकड़ कर उनका चालान किया गया है। अभियुक्तगण का कोई गैंग नहीं है, न ही वे किसी गैंग के सदस्य है, न ही उनका समाज में कोई भय व आतंक है, उनके द्वारा किसी से अवैध धन की वसूली नहीं की गयी है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किसी भी साक्षी की साक्ष्य में यह नहीं आया है कि अभियुक्तगण द्वारा अनैतिक क्रिया कलापों से कौन–कौन सी अवैध चल, अचल सम्पत्ति अर्जित की गयी है, ना ही पत्रावली पर इस आशय का कोई प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू0–02 सेवानिवृत्त निरीक्षक देशवीर सिंह द्वारा अपनी जिरह में स्वीकार किया गया है कि उसके द्वारा दौरान विवेचना तीनों अभियुक्तगण की चल अचल सम्पत्ति की जाँच की गयी, जिसका इन्द्राज जी०डी० में नहीं किया गया और न केस डायरी में किया गया। उसे यह जानकारी नहीं है कि अभियुक्तगण के नाम व उनकी पत्नी व परिवारीजनों के विरुद्ध कितनी चल अचल सम्पत्ति है। उसके द्वारा दौरान विवेचना अभियुक्तगण द्वारा भा०दं०सं० के अध्याय 16,17,22 में वर्णित अपराध करने व जनता में भय व आतक व्याप्त होने के सम्बन्ध में किसी जनता के व्यक्ति के बयान अंकित नहीं किये गये। अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है। अतः अभियुक्तगण अधिरोपित आरोप से दोषमुक्त होने योग्य है।

19– मैंने, राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को विस्तार पूर्वक सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का गहन परिशीलन किया।

20– इस प्रकरण के निराकरण के लिए मुख्य रूप से विचारणीय बिन्दु यह है कि :–

i– क्या अभियुक्तगण का एक संगठित गिरोह है और अभियुक्तगण द्वारा भा0 दं0 सं0 के अध्याय 16, 17 व 22 के अन्तर्गत या धारा 2(ख) गैंगस्टर एक्ट में उल्लिखित अन्य अपराध कारित किये गये हैं ?

ii– क्या अभियुक्तगण का गैंगचार्ट में वर्णित अपराधों को कारित करने का उद्देश्य समाज में भय या आतंक व्याप्त करना या अभियुक्तगण द्वारा स्वयं या अन्य व्यक्ति के लिए भौतिक, आर्थिक व दुनियावी लाभ प्राप्त करना था ?

<u>–निष्कर्ष–</u>

Special Judge (Gangster Act)/
Additional Sessions Judge,Court No.03, Etah.

21– प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य के अवलोकन के उपरान्त साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एवं उचित क्रमबन्धन की दृष्टि से उपरोक्त दोनों विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

22– पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि अभियुक्तगण गजेन्द्र उर्फ भोला एवं प्रवेश यादव के विरूद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही उनके विरूद्ध दर्ज मु0 अ0 सं0 101/2017, धारा 392 भा0 दं0 सं0, थाना कोतवाली देहात, जिला एटा बनाम गजेन्द्र उर्फ भोला एवं प्रवेश यादव, मु0 अ0 सं0–581/2016, धारा 302, 394, 411, 34 भा0 दं0 सं0 व 3(2)5 एस0 सी0/एस0 टी0 एक्ट, थाना कोतवाली देहात, जिला एटा बनाम गजेन्द्र उर्फ भोला एवं प्रवेश यादव, मु0 अ0 सं0–181/2017, धारा 392 भा0 दं0 सं0 थाना कोतवाली नगर, जिला एटा बनाम गजेन्द्र उर्फ भोला, मु0 अ0 सं0–149/2016, धारा 392, 411 भा0 दं0 सं0, थाना एका जनपद फिरोजाबाद बनाम प्रवेश यादव के आधार पर की गयी थी। दौरान विचारण बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा फेहरिस्त 43ब से अ0 सं0–181/2017 अन्तर्गत धारा 392 भा0 दं0 सं0, थाना कोतवाली नगर, एटा से सम्बन्धित विशेष सत्र परीक्षण संख्या–40/2017 में पारित निर्णयादेश दिनांकित 10–01–2025 की छायाप्रति कागज संख्या 43ब/2 लगायत 43ब/5 एवं अ0 सं0–101/2017 अन्तर्गत धारा 392 भा0 दं0 सं0, थाना कोतवाली देहात, एटा से सम्बन्धित विशेष सत्र परीक्षण संख्या–39/2017 में पारित निर्णयादेश दिनांकित 04–02–2025 की छायाप्रति कागज संख्या 43ब/6 लगायत 43ब/8 दाखिल की गयी है। उक्त आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण को अ०सं०–181/2017 व अ०सं०–101/2014 के मामलों में दोषमुक्त किया जा चुका है।

23– धारा–3(1) उ0 प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत आरोप साबित करने के लिए अभियोजन को मुख्यतः निम्नलिखित तथ्यों को साबित किया जाना चाहिए:–

i. अभियुक्त का एक संगठित गिरोह है।

ii. अभियुक्त द्वारा भा0 दं0 सं0 के अध्याय 16, 17 व 22 के अन्तर्गत या धारा 2(ख) गैंगस्टर एक्ट में उल्लिखित अन्य अपराध कारित किये गये हों।

iii. इन अपराधों को कारित करने का उद्देश्य–

(अ)–समाज में भय या आतंक व्याप्त करना या

(ब)–अभियुक्त द्वारा स्वयं या अन्य व्यक्ति के लिए भौतिक, आर्थिक व दुनियावी लाभ प्राप्त करना हो।

गिरोह की परिभाषा धारा 2(ख) उ0 प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 में निम्न प्रकार दी गयी हैं–

''गिरोह'' का तात्पर्य–ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जो लोक–व्यवस्था को अस्त–व्यस्त करने या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित दुनियावी (टैम्पोरल), आर्थिक–भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से या तो अकेले या सामूहिक रूप से हिंसा, या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन, या अभित्रास, या प्रपीड़न द्वारा, या अन्य प्रकार से भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अध्याय 16, 17 व 22 के अधीन दण्डनीय अपराध, संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 अथवा एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट अथवा अन्य किसी अधिनियम के प्रावधानों में अपराध करना या विधि सम्मत प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया द्वारा सम्पत्ति, स्थावर सम्पत्ति पर अध्यासन करना या कब्जा लेना, या स्थावर सम्पत्ति पर चाहे स्वयं या अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में हक या कब्जा के लिए मिथ्या दावा करना, या किसी लोक सेवक या किसी साक्षी को अपने विधिपूर्ण कर्तव्यों का पालन करने से रोकना या रोकने के लिए प्रयत्न करना, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 या सार्वजनिक द्युत अधिनियम 1867 (अधिनियम सं03 सन्

1867) की धारा 3 के अधीन दण्डनीय अपराध, या किसी व्यक्ति को विधिपूर्ण नीलामी आदि में निविदा करने से रोकने, किसी व्यक्ति को अपने विधिपूर्ण कारोबार, वृत्ति, व्यापार या जीविका या उससे सम्बद्ध किसी अन्य विधिपूर्ण क्रियाकलाप को सुचारू रूप से करने से रोकना भा0 दं0 सं0 की धारा 171 ई से सम्बन्धित अपराध या उसमें विध्न डालना, या जनता में दहशत संत्रास या आतंक फैलाना, या फिरौती उद्योपति करने के आशय से किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करना, या अन्य उल्लिखित समाज विरोधी क्रिया कलाप करते हैं।

''गिरोहबन्द'' का तात्पर्य–किसी गिरोह के सदस्य या सरगना या संगठक से है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो खण्ड (ख) में प्रमाणित किसी गिरोह के क्रिया कलाप के लिए, चाहे ऐसे क्रिया कलाप के लिए जाने के पूर्व या पश्चात, दुष्प्रेरित करता है या उसमें सहायता देता है, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसे क्रिया कलाप किये हो, संश्रय देता है।

गैंग की परिभाषा–से यह स्पष्ट है कि गैंग का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के समूह है जो हिंसा या हिंसा का भय दिखाकर धारा 2 (ख) में उल्लिखित अपराधों को इस उद्देश्य से कारित करे कि–

1–समाज में भय व आतंक व्याप्त हो या

2–अभियुक्त ने भौतिक, आर्थिक व दुनियावी लाभ प्राप्त किये हो।

24– उपरोक्त तथ्यों को साबित करने के लिए सेवानिवृत्त निरीक्षक सुम्मेर सिंह पी0 डब्लू0–01 को परीक्षित कराया गया है, जो कि उक्त प्रकरण के वादी मुकदमा है। उक्त साक्षी के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है और गैंगचार्ट को प्रदर्श क–01 को अपने हस्ताक्षर से साबित किया गया है। इस साक्षी ने अपनी जिरह के पेज क्रमांक–04 में कथन किया है कि उसने तीनों अभियुक्तगण गजेन्द्र उर्फ भोला, सोनू उर्फ विवेक यादव व प्रवेश यादव को गैंगचार्ट बनाने से पहले चल अचल सम्पत्ति को जांच नहीं की। इस प्रकार उक्त साक्षी के बयान के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके द्वारा गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत विशिष्ट घटक के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गयी है। उक्त साक्षी वर्तमान मामले का वादी मुकदमा है, परन्तु उसके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य न्यायालय में प्रकट नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि अभियुक्तगण से किस प्रकार समाज में भय या आतंक व्याप्त था तथा अभियुक्तगण द्वारा स्वयं या अन्य व्यक्ति के लिए कौन सा भौतिक, आर्थिक व दुनियावी लाभ प्राप्त किया गया है।

25– अभियोजन द्वारा अपने मामले के समर्थन में सेवानिवृत्त निरीक्षक देशवीर सिंह पी0 डब्लू0–02 को परीक्षित कराया गया है, जो कि उक्त प्रकरण के विवेचक है। उक्त साक्षी के द्वारा आरोप पत्र अ०सं०–311/2017, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट को प्रदर्श–02 के रूप में अपने हस्ताक्षर से साबित किया गया है तथा अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श क–03 को तत्कालीन एस०एस०पी० अखिलेश कुमार चौरसिया द्वारा देना बताते हुए साबित किया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है, परन्तु इस साक्षी ने अपनी जिरह के पेज क्रमांक–3 में कथन किया है कि उसके द्वारा दौरान विवेचना तीनों अभियुक्तगण की चल, अचल सम्पत्ति की जाँच की गयी, जिसका इन्द्राज जी०डी० में नहीं किया गया और न केस डायरी में किया गया। उसे यह जानकारी नहीं है कि अभियुक्तगण के नाम व उनकी पत्नी व परिवारीजनों के विरुद्ध कितनी चल अचल सम्पत्ति है। उसके द्वारा दौरान विवेचना अभियुक्तगणों द्वारा भा०दं०सं० के अध्याय 16,17,22 में वर्णित अपराध करने व जनता में भय व आतक व्याप्त होने के सम्बन्ध में किसी जनता के व्यक्ति के बयान अंकित नहीं किये गये।

26– इस प्रकार उक्त साक्षी देशवीर सिंह (पी०डब्लू०–02) के बयान के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके द्वारा गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत विशिष्ट घटक के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य संकलित करने की ना तो चेष्टा की गयी और ना ही ऐसा करने में वे सफल रहे है। अभियोजन साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तगण द्वारा क्या–क्या आर्थिक व भौतिक लाभ

अर्जित किये गये तथा किस प्रकार से समाज में उनका डर व आतंक व्याप्त था। उपरोक्त परिस्थिति अभियोजन के मामले को पूर्णतः खण्डित करती है और ऐसे साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत दोषी ठहराने का आधार पर्याप्त नहीं है।

27– अभियोजन द्वारा अपने मामले के समर्थन में एच०सी० विकास बाबू को पी0 डब्लू0–03 के रूप में परीक्षित कराया है। उक्त साक्षी के द्वारा गैंगचार्ट के आधार पर चिक एफ0आई0आर0 अ0सं0–311/2017, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट को प्रदर्श क–04 व जी०डी० रपट नं०–25 को प्रदर्श क–05 के रूप में प्रमाणित कर साबित किया गया है। उक्त साक्षी के साक्ष्य से भी ऐसा कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं आया है जो कि अभियुक्तगण को गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत दोषारोपित करता हो।

28– इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा पुलिस मेनुअल के पैरा–253 व 254 के अनुपालन में कोई गिरोह पंजी प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे स्पष्ट हो सके कि अभियुक्तगण का कोई गिरोह था, जिसका इन्द्राज गिरोह पंजी रजिस्टर में था। प्रारूप संख्या–45 में भी गिरोह पंजी होने के सम्बन्ध में कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रकट हो कि गिरोह तथा गिरोह के सभी सदस्य थाने पर रखी जाने वाली गिरोह पंजी में नामित हैं।

29– इस प्रकरण में अभियोग पत्र प्रदर्श क–02 पर दिनांक 29–03–2018 को प्रसंज्ञान लिया गया है। उस समय गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत विवेचना हेतु शासनादेश संख्या–12/6–पु०–11–2004–58 (रिट)/2003 दिनांकित 02 जनवरी 2004 गृह (पुलिस) अनुभाग–11 प्रचलित था। उक्त शासनादेश के पैरा नं०–7 में लेख है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों की विवेचना अनिवार्यतः दूसरे थाने के प्रभारी द्वारा की जानी चाहिए। अभियोजन साक्षी देशवीर सिंह (पी०डब्लू०–02) के द्वारा अपने जिरह के पेज क्रमांक 03 में कथन किया गया है कि केस डायरी का पर्चा नं०–1 थाना कोतवाली देहात में तैनात उपनिरीक्षक शेर सिंह द्वारा किता किया गया है। इस प्रकार प्रकरण में प्रारम्भ में विवेचना थाना कोतवाली देहात के ही उपनिरीक्षक शेर सिंह किया जाना प्रकट है। अतः इस प्रकरण में विवेचना भी ऋजु नहीं है।

30– पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियोजन साक्षी सेवानिवृत्त निरीक्षक देशवीर सिंह (पी0 डब्लू0–02) एवं अभियोजन साक्षी सेवानिवृत्त निरीक्षक सुम्मेर सिंह (पी०डब्लू०–01) के द्वारा न्यायालय के समक्ष जो साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है, उक्त साक्ष्य से ऐसा कोई भी तथ्य अभिलेख पर नहीं है, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत वर्णित अपराध में अभियुक्तगण की संलिप्तता को प्रकट करता हो। अभियोजन साक्षी देशवीर सिंह (पी0 डब्लू0–02) द्वारा अपनी जिरह के पेज क्रमांक–3 में कथन किया है कि **उसके द्वारा दौरान विवेचना तीनों अभियुक्तगण की चल, अचल सम्पत्ति की जाँच की गयी, जिसका इन्द्राज जी०डी० में नहीं किया गया और न केस डायरी में किया गया**। उसे यह जानकारी नहीं है कि **अभियुक्तगण के नाम व उनकी पत्नी व परिवारीजनों के विरुद्ध कितनी चल अचल सम्पत्ति है। उसके द्वारा दौरान विवेचना अभियुक्तगणों द्वारा भा०दं०सं० के अध्याय 16,17,22 में वर्णित अपराध करने व जनता में भय व आतक व्याप्त होने के सम्बन्ध में किसी जनता के व्यक्ति के बयान अंकित नहीं किये गये।** अभियोजन साक्षी सेवानिवृत्त निरीक्षक सुम्मेर सिंह (पी०डब्लू०–01) जिनके द्वारा वर्तमान प्रकरण में गैंगचार्ट प्रदर्श क–01 तैयार किया गया है तथा उसी के आधार पर प्रदर्श क–04 प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हुई है, उनके द्वारा अपनी जिरह के पेज क्रमांक 04 में कथन किया है कि **उसने तीनों अभियुक्तगण गजेन्द्र उर्फ भोला, सोनू उर्फ विवेक यादव व प्रवेश यादव को गैंगचार्ट बनाने से पहले चल अचल सम्पत्ति की जांच नहीं की।**

31– इस अधिनियम के अन्तर्गत आर्थिक लाभ से तात्पर्य कुछ धनीय लाभ से है, जब कोई व्यक्ति धनीय लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से ऐसा कोई कार्य करता है, जो अधिनियम की धारा 2(ख) में परिभाषित अपराधों की परिधि में आ जाता है, तो वह आपराधिक कृत्य इस अधिनियम

Special Judge (Gangster Act)/
Additional Sessions Judge,Court No.03, Etah.

के प्रावधान को अकृष्ट करता है। हस्तगत मामलों में अभियोजन साक्षी सेवानिवृत्त निरीक्षक देशवीर सिंह (पी0 डब्लू0–02) एवं अभियोजन साक्षी सेवानिवृत्त निरीक्षक सुम्मेर सिंह (पी०डब्लू०–01) के न्यायालयीन कथनों से स्पष्ट है कि **अभियुक्तगण ने कोई चल व अचल सम्पत्ति प्राप्त नहीं की है और न ही भौतिक व आर्थिक रूप से अपने लिए अथवा किसी अन्य के लिए कोई अवैध सम्पत्ति कमायी है।** इसी प्रकार भौतिक या दुनियावी लाभ या अन्य लाभ से तात्पर्य कोई ऐसा लाभ प्राप्त करने से है, जो उस अपराध करने वाले व्यक्ति को सुख, सुविधा में वृद्धि करता है या उसकी अहम की चेष्टा की पूर्ति करता है या समाज में उस गिरोह की धमक कायम करने की क्षमता रखता है। उक्त गिरोह उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किये जा रहे उस आपराधिक कृत्य हिंसा या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन अथवा प्रपीड़न द्वारा प्राप्त कर रहा है, तब यह माना जायेगा कि उस गिरोह के द्वारा किया गया आपराधिक कृत्य इस अधिनियम के प्रावधान को आकर्षित कर रहा है। वर्तमान मामले में अभियोजन द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है कि अभियुक्तगण के द्वारा कौन सी सुख सुविधा में वृद्धि की गयी और समाज में उनकी धमक किस प्रकार से कायम रही।

32– इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध गैंगचार्ट प्रदर्श क–01 में दर्शित मु0 अ0 सं0–181/2017 (निर्णय की छाया प्रति कागज संख्या 43 ब/2 लगायत 43 ब/5) में पारित निर्णय दिनांकित 10–01–2025 एवं अ०सं०–101/2017 (निर्णय की छाया प्रति कागज संख्या 43 ब/6 लगायत 78 ब/8) में पारित निर्णय दिनांकित 04–02–2025 के माध्यम से अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जा चुका है। अ०सं०–581/2016 में परीक्षित गवाहों के अभिसाक्ष्य (कागज संख्या 42 ब/7 लगायत 42 ब/18) की प्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल की गयी है, जिसमें साक्षीगण राकेश कुमार, रामकुमार, राम औतार एवं संतोष कुमार पक्षद्रोही हो गये हैं। हस्तगत प्रकरण में मुलतः इन्हीं मुकदमों के आधार अभियुक्तगण के विरूद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी तथा मामले के विवेचक को अभियुक्तगण द्वारा अवैध धन अर्जित करने तथा उनका समाज में भय व आतंक व्याप्त होने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य न मिला हो तो ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। **माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा विधि व्यवस्था अब्दुल कादिर खॅान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 ए0 एच0 सी0 5837** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अगर अभियुक्त को न्यायालय द्वारा उन मुकदमों में दोषमुक्त कर दिया गया है जिनके आधार पर उसके विरूद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है तो अभियुक्त को गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत दोषी करार नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार **माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था यामीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2025 ए0 एच0 सी0 175690** में भी अवधारित किया गया है कि यदि मूल केस जिसके आधार पर गैंगस्टर की कार्यवाही की गयी है, यदि वह केस समाप्त कर दिया जाये तो गैंगस्टर अधिनियम की कार्यवाही की नीव ही खत्म हो जाती है। इस प्रकार उपरोक्त विधि व्यवस्था के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर अभियुक्तगण को उन सभी मुकदमों में न्यायालय द्वारा विचारणोपरान्त उनके विरूद्ध अधिरोपित आरोपों से दोषमुक्त किया जा चुका है तो उनके विरूद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत विचारण करने का कोई आधार शेष नहीं रह जाता है।

33– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टान्त **स्टेट आफ यू०पी० बनाम गंभीर सिंह (2005) 11 एस०सी०सी० 271** में यह मत व्यक्त किया गया है कि पत्रावली पर अभियोजन ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं उससे दो प्रकार के निष्कर्ष निकल रहे हैं, एक अभियुक्त के पक्ष में जाता है और दूसरा अभियोजन के पक्ष में तो जो विचार अभियुक्त के पक्ष में जा रहा है उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

Special Judge (Gangster Act)/
Additional Sessions Judge,Court No.03, Etah.

34– न्यायालय के मतानुसार उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्तगण को गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत दोषी ठहराये जाने के लिए कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। गैंगचार्ट प्रदर्श क–01 में उल्लिखित मामला अ०सं०–181/2017 में अभियुक्त गजेन्द्र उर्फ भोला को एवं अ०सं०–101/2017 के प्रकरण में अभियुक्तगण गजेन्द्र उर्फ भोला व प्रवेश यादव को दोषमुक्त किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त अभियोजन गिरोहबंद अधिनियम के विशिष्ट घटक को अतुल्य साक्ष्य से साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण अधिरोपित आरोप में संदेह का लाभ पाकर दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

–आदेश–

अभियुक्तगण **गजेन्द्र उर्फ भोला** एवं **प्रवेश यादव** को **जी0 एस0 टी0 संख्या–15/2018 उ0प्र0 राज्य** बनाम **गजेन्द्र उर्फ भोला आदि,** मुकदमा **अपराध संख्या–311/2017,** थाना **कोतवाली देहात,** जिला एटा के प्रकरण में उनके विरूद्ध अधिरोपित आरोप अंतर्गत धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 से **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्त प्रवेश यादव जमानत पर हैं। अभियुक्त प्रवेश यादव के निजी बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं एवं जमानतदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त गजेन्द्र उर्फ भोला जिला कारागार एटा में निरूद्ध है, जिसे न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से तलब किया गया है, जो न्यायालय में उपस्थित है।

अभियुक्त गजेन्द्र उर्फ भोला का रिहाई परवाना जिला कारागार, एटा भेजा जाये। यदि अभियुक्त गजेन्द्र उर्फ भोला किसी अन्य मामले में निरूद्ध न हो तो तुरन्त रिहा किया जाये।

अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437ए (धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के प्रावधान के अनुपालन में मुव०–20,000/– रूपये (बीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी धनराशि की दो जमानते न्यायालय में अन्दर सप्ताह दाखिल करें कि इस निर्णय के विरूद्ध कोई अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करने पर अभियुक्तगण अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगें।

दिनांक 06–04–2026

(कमालुद्दीन)
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–03, एटा।
J.O. Code U.P. 2690

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

दिनांक 06–04–2026

(कमालुद्दीन)
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–03, एटा।
J.O. Code U.P. 2690